

न्यायालय जिला कलेक्टर (आर्बिट्रेटर) सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र. (आर्बिट्रेशन) संख्या 27/20

वर्ष 2020

GCMS No- 2020/000080

बउनवानी:-1 फूलचन्द पुत्र गिराज जाति मीना निवासी डेहकवा,तह0 व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक परियोजना क्रियान्वयन, सवाईमाधोपुर, ए-45-46 तिरपति बिहार ब्लॉक ई छत्रपुरा बूंदी, हाल सवाईमाधोपुर

( प्रार्थना अन्तर्गत धारा 64 राईट टू फेयर कम्पेशेन एण्ड ट्रांसपेरेन्सी इन लेण्ड एकज्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड डी सेटलमेंट एक्ट,2013 विरुद्ध जारी नोटिस बाबत अवाप्ति ख0न0 2055 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम डेहकवा (अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर) भूमि अवाप्ति अधिकारी जिला सवाईमाधोपुर ),

उपस्थित:-1. श्री उमाशंकर शर्मा

वकील प्रार्थी

2. श्री दीपक शर्मा

वकील अप्रार्थी

—: निर्णय :-

दिनांक:- 14.07.2021

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 64 राईट टू फेयर कम्पेशेन एण्ड ट्रांसपेरेन्सी इन लेण्ड एकज्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड डी सेटलमेंट एक्ट,2013 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा प्रार्थी की भूमि एन.एच.148 के निर्माण हेतु अवाप्त किये जाने बाबत जारी नोटिस बाबत ख0न0 2055 रकबा 0.20 है0 विधि विरुद्ध व वास्तविक तथ्यों के विपरीत होने के कारण उक्त नोटिस को निरस्त करवाने बाबत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना प्रस्तुत पत्र होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया साथ ही विपक्षीगणों की भी तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि विक्रय पत्र कल्याण बनाम प्रेमदेवी मे वर्णित बाजार दर के अनुसार उक्त आराजी ख0न0 2055 रकबा 0.20 है0 भूमि की कीमत 67000/- रु प्रति ऐयर के हिसाब से गणना की जाने पर कुल 13,40,00/-रु बनती है। यह भी तर्क दिया कि ख0न0 2055 पुराने ख0न 1484, 1491 से बना है तथा ख0न0 1484 और 1491 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है किन्तु सेटलमेंट द्वारा उक्त भूमि को गलत प्रकार से क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर राज्य सरकार के खाते मे दर्ज कर दिया गया है। अतः उक्त भूमि का मुआवजा निर्धारित किया जाकर प्रार्थी को दिलवाया जावे। उक्त ख0न0 2055 रकबा 0.20 है0 पर 75 अमरुद के वृक्ष है जिनका मुआवजा 21,00,000/-रु होता है। उक्त भूमि वर्तमान मे सरकारी भूमि है तथा राजपत्र में उक्त भूमि को सरकारी माना गया है जबकि प्रार्थी उक्त भूमि को निर्विवाद रूप से काश्त करते चले आ रहे है। उक्त संबंध मे प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.07.2020 को सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी जिसका भी निस्तारण नही किया गया है। अतः उक्त भूमि का अवार्ड प्रार्थी के नाम पारित करवाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

.....(1).....

जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सवाईमाधोपुर जिले में ए.एच.148एन के कि.मी. 236 से कि.मी.304.4 तक के भूखण्ड के निर्माण (चौडीकरण/पेड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचलन के लोक प्रयोजन के लिये अवाप्ति की कार्यवाही भूमि अवाप्ति हेतु अवाप्ति अधिकारी नियुक्त किया जाता है तत्पश्चात राजमार्ग के प्रावधान 3(ए) की अधिसूचना दिनांक 21.8.2018 को अधिसूचना जारी की गयी जिसके परिप्रेक्ष्य में जो आपत्तियों की गयी उनका धारा 3 सी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया गया। उसके पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3डी की उपधारा 1 के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाले भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट भेजी गयी जिसके आधार पर दिनांक 4.1.2019 को 3(डी) की अधिसूचना जारी की गयी जिसमें अवाप्त भूमि की **किस्म चाही-3** दर्ज करते हुए स्वामित्वधारी का उल्लेख किया गया। इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूचित में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार में निहित हो जावेगी। अधिसूचना जारी कर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त की गयी भूमि पर स्थित भवन, वृक्षो व फसल आदि की धनराशि (Section 29 RFCTLARR act-2013) भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 की धारा-30 की उपधारा-1 के अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित भवन और अन्य स्थावर सम्पत्ति या आस्तियों के बाजार मूल्य का अवधारण करने के लिए सुसंगत क्षेत्र में किसी सक्षम इंजीनियर या ऐसे किसी अन्य विशेषज्ञ की सेवा का उपयोग परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पत्र संख्या भाराराप्रा /पकाई/सवाईमाधोपुर/83 दिनांक 30.1.2019 के क्रम में अर्जित भूमि पर स्थित भवन इत्यादि परिसम्पत्ति का मूल्यांकन/सत्यापन सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराकर रिपोर्ट अधीक्षण अभियंता सा0नि0वि0 सवाईमाधोपुर के पत्रांक 584 दिनांक 29.5.2019 द्वारा तथा अर्जित भूमि पर स्थित निजी वृक्षो का मूल्यांकन वन विभाग से करवाकर रिपोर्ट सहायक निदेशक उद्यान सवाईमाधोपुर के पत्र संख्या एडीएच/एसडब्ल्यू/2019/323 दिनांक 22.5.2019 द्वारा सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय को उपलब्ध करवायी जाने पर मुआवजा हेतु अवार्ड निधारण किया जाता है।

यह भी तर्क दिया कि प्रार्थी की भूमि ख0न0 2055 के रकबा में से 0.1161 है0 किस्म चाही-3 एन.एच. एक्ट के प्रावधानानुसार अवाप्त की गयी है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है इसलिए उक्त भूमि का हितधारी राजस्थान सरकार है तथा उक्त भूमि पर किसी प्रकार के कोई अमरुद के वृक्ष नहीं है। यह भी तर्क दिया अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार 3(डी) की अधिसूचना जारी की गयी उसमें अवाप्त की गयी आराजी के हितबद्ध खातेदारों के नाम का उल्लेख किया जाता है। तथा स्वामित्व का निर्धारण किये जाने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार मध्यस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं है। उक्त भूमि पर कोई अमरुद के वृक्ष नहीं है। उक्त ख0न0 2055 की भूमि पूर्व में प्रार्थी की खातेदारी में रही हो एवं इस पर अमरुद के वृक्ष हो ऐसा कोई विधिक साक्ष्य वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है।

Gur

.....(2).....


जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र तथ्यहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया।

वकील उभय पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रथम अनुतोष अवाप्त भूमि का मुआवजा विक्रय पत्र कल्याण बनाम प्रेम देवी में अंकित भूमि ख0न0 3796 की डी.एल.सी. दर के आधार पर तय कराना चाहते हैं। किन्तु अपने कथन के समर्थन में किसी प्रकार का युक्ति संगत दस्तावेज न्यायालय में पेश नहीं किया जिसके आधार पर यह माना जा सके कि ख0न0 3796 एवं 2055 की भूमि समान प्रकृति को हो जिसके कारण दोनों ख0न0 की डी.एल.सी दर समान मानी जा सके। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि पर अमरूद के 75 वृक्षों का अवार्ड चाहने बाबत किये गये कथन के समर्थन ऐसा कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया जिसके आधार पर यह माना जा सके कि ख0न0 2055 की भूमि पर प्रार्थी के अंश एवं हिस्से के अनुसार 75 अमरूद के वृक्ष लगे हों। चूँकि मुताबिक राजस्व रिकार्ड उक्त भूमि वर्तमान में राज्य सरकार के नाम है प्रार्थी उक्त भूमि को पूर्व में अपनी खातेदारी की भूमि बताते हुए उक्त भूमि का अवार्ड अपने नाम करवाना चाहता है किन्तु कथन के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया जिसके आधार पर यह माना जा सके कि उक्त ख0न0 2055 की भूमि पूर्व में प्रार्थीगण की खातेदारी में रही है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि स्वामित्व संबंधी निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त अनुतोष प्रार्थीगण को इस न्यायालय द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वकील प्रार्थी के कथन से न्यायालय सहमत नहीं है परन्तु वकील अप्रार्थी द्वारा किये गये कथन से न्यायालय पूर्णतया सहमत है। इस प्रकार प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र साक्ष्य दस्तावेजात के अभाव में निराधार प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.7.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

  
(राजेन्द्र किशन)  
जिला कलेक्टर  
सवाईमाधोपुर